उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-13/2019/आडिट-1-1089/दस-2019-320(4)/2018
लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर रू0 15600-39100, ग्रेड पे-5400 (पुनरीक्षित वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रू0 56,100/- से 1,77,500/-)/के वेतनमान में चयनित श्री सिन्धु कमल, पुत्र श्री राम प्रवेश द्विवेदी, करगाहर, पोस्ट-करगाहर, रोहतास, बिहार-821107 को सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जनपद औरैया के पद पर नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा पर रखा जाता है तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर उक्त नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(3) यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

2- अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के प्राप्ति के एक माह के भीतर निम्नानुसार सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के समक्ष अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे:-

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।
(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
(ग) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।
(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र।
(च) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
(छ) संलग्न प्रपत्र में निजी विवरण।
(ज) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का एक नवीनतम फोटोग्राफ।
(झ) राजपत्रित अधिकारी का चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।
(ञ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

उपरोक्त सभी प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली-2015 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के लिए विहित प्रशिक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

5- उक्त नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा योजित की गयी एस0एल0पी0 संख्या-9610/2017 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-12/2019/आडिट-1-1089(1)/दस-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मण्डल के उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार प्रमाण पत्र की प्रति एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की प्रतियां मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. श्री सिन्धु कमल, पुत्र श्री राम प्रवेश द्विवेदी, करगाहर, पोस्ट-करगाहर, रोहतास, बिहार-821107 (रजिस्टर्ड)।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कार्मिक अनुभाग-4 को उनके पत्र संख्या-आ-219/का-4-2019, दिनांक 03 मई, 2019 के सन्दर्भ में।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. कम्प्यूटर सहायक, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।